न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 185/2020 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2020/199

1. राजेन्द्र पुत्र कुशलाराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सुभाष पुत्र कुशलाराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. गणेशाराम पुत्र बृजलाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजा पुत्र बृजलाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. सुन्दरलाल पुत्र देवीलाल कुशलाराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. देवाराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. कृष्णलाल पुत्र धर्मदास जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री करण सिंह तंवर — अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.2

निर्णय

दिनांक 19.09.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 20.11.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त बीकानेर

1— विवादित कृषि भूमि अपीलांट्स के पिता/दादा कुशलाराम के नाम से चक 22 एस.डी. के पत्थर नंबर 146/420 के किला नंवर 1 ता 5 में स्थित कुल 5 बीघा खातेदारी भूमि है। कुशलाराम के देहांत बाद उक्त विवादित भूमि का इंतकाल अपीलांट्स के नाम दर्ज हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11/14 के तहत कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट्स पिता/दादा मृतक कुशलाराम के नाम दर्ज की गई भूमि को आराजी राज दर्ज करने का आदेश दिया तथा कब्जा बहक सरकार लिये जाने हेतु तहसीलदार सूतरगढ़ को आदेशित किया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.11.2020 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री करण सिंह तंवर ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि वाके चक 22 एस.डी. के पत्थर नंबर 146/420 के किला नंबर 1 ता 5 में स्थित कुल 5 बीघा खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि अपीलांट्स के पिता/दादा कुशलाराम के नाम से दर्ज थी। कुशलाराम का देहान्त हो जाने पर उक्त विवादित भूमि अपीलांट्स के नाम से दर्ज हो गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की शिकायत पर उक्त भूमि का आवंटन खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने कुशलाराम की आवंटन पत्रावली तलब किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 26.08.2011 की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए आवंटन निरस्त कर विवादित भूमि को आराजी राज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने Legal mind apply नहीं किया और ना ही तथ्यों का सही विवेचन किया बल्कि जल्दबाजी में आदेश पारित किया, जो काबिले खारिज हैं। खातेदारी अधिकार मिलने के बाद अपीलांट्स के खिलाफ 11/14 के तहत कार्यवाही नहीं करके काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही होनी चाहिये थी जो नहीं की गई। इसप्रकार अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील अपीलांट में वर्णित रकबा अपीलांट्स के दादा/पिता मृतक कुशलाराम ने विना किसी आवंटन आदेश के सरकारी कर्मचारी से सांठ—गांठ करके सीधे ही अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा लिया। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन

आदेश पारित करने से पूर्व आवंटन पत्रावली मंगवाई थी। अपीलांट्स द्वारा आवंटन बाबत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बार–बार पत्राचार करने के उपरान्त भी मूल आवंटन पत्रावली एवं आवंटन संबंधी साक्ष्य के अभाव में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स आवंटन संबंधी किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली में आवंटन संबंधी दस्तावेज न तो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत हुए। अतः अपील अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि आवंटन पत्रावली की संबंधित कार्यालयों में तलाश कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों की गहनता से जांच करते हुए 60 दिवस के भीतर दोनों पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर